राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 912 / 2015 / जयपुर.

मैसर्स वायर्स एण्ड फेब्रिक्स (एस.ए.) लिमिटेड,
इण्डस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–VI, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री टी. सी. जैन, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21 / 02 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 547 / अपील्स–III / 13–14 / के. में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत–षष्ठम (VI) जयपुर (राज.) (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 20.01.2014 [अपीलीय अधिकारी के आदेश में त्रुटिवश 20.10.2014 अंकित] के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में की गई बिक्री के समर्थन में कुछ अनिवार्य घोषणा पत्र 'सी' एवं 'एच' प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज कायम किया गया था। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के जरिये अपील स्तर तक प्रस्तत किये हुए 'सी' व 'एच' घोषणा पत्रों को स्वीकार किये जाने के आदेश किये गये थे तथा अवशेष घोषणा पत्र दिनांक 30.06.2015 तक की समयावधि में प्रस्तुत किये जाने के आदेश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था।

3. उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये केवल दिनांक 30.06.20015 तक का ही समय प्रदान किया गया था जो अपर्याप्त था एवं अपीलार्थी को समस्त घोषणा पत्रों को एकत्रित करने में काफी समय की आवश्यकता थी क्योंकि उनके क्रेताओं द्वारा बार–बार स्मरण कराये जाने के बावजूद भी घोषणा पत्र नहीं दिये गये थे क्योंकि क्रेताओं द्वारा भी उनके कर निर्धारण अधिकारियों से समय पर घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हो पा

लगातार................2

रहे थे। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा अपीलीय आदेश के बाद कुछ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं एवं अपीलार्थी को अभी भी रूपये 2,64,20,199/– के घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं अतः न्यायहित में उन्हें घोषणा पत्र एकत्र कर, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न निर्णयों में भी अपीलीय स्तर तक भी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा भी पूर्व में दिनांक 23.01.2015 तक का समय बढ़ाया जा चुका है। अतः घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र समय पर प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे एवं इसके लिये असीमित एवं अनिश्चितकालीन (unlimited & indefinite) समय नहीं दिया जा सकता। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में विवाद अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्रों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने मात्र से है एवं युक्तियुक्त कारणों से घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं। इसके पूर्व अपीलीय अधिकारी द्वारा भी समय दिया गया था परन्तु व्यावसायिक कठिनाई से घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं होने का कथन किया गया है, जिसके मद्‌देनजर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय; माननीय उच्च न्यायालय व माननीय कर बोर्ड के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्रों को स्वीकार कर तद्‌नुसार मांग में नियमानुसार कमी की जावे।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन) 21/11/2017
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष